फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

सावंरमल बनाम गुलामकादर

किस्म मुकदमा 225 आरटीए **नम्बर 62/2022**
जीसीएमएस संख्या.................2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03–08–22	अभिभाषक अपीलांट श्री रामचन्द्र सिंह भाटी उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को पत्रावली पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 08–08–2022 को पेश हो।	
08–08–22	विद्वान अभिभाषक अपीलांट् उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि चक 1 बीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 124/44 में 23 बीघा 19 बिस्वा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर अदालत मातहत द्वारा उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट् के पक्ष में किया गया। अपीलांट् को आवंटित भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित होने पर उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट् को प्राप्त नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा विकल्प में आयुक्त उपनिवेशन के आदेशों के अनुसरण में चक 1 बीडीवाई के मुरब्बा नम्बर 124/44 जोकि पूर्व में आवंटित भूमि थी, को निरस्त करते हुए विनिमय में चक 4 एमजीएसएम के मुरब्बा नम्बर 21/14 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट् के पक्ष में किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट् के उपरोक्त आवंटन के विरूद्व दो अपीलें अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जोकि 11–02–2009 को निरस्त की गई। उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष रिविजन पेश की गई, जो दिनांक 13–09–2010 को खारिज की गई। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उक्त रिट याचिका भी दिनांक 14–02–2022 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् किसी भी न्यायालय से किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए पुनः एक नया दावा मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट् जोकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत आवंटी को पक्षकार स्थापित किये बिना एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गई। उक्त निषेधाज्ञा के कारण अपीलांट् वादग्रस्त भूमि के आवंटन को राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् को विधिवत आवंटित है, ऐसीस्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित नहीं रखी जाती है तो उसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट् को कारित होगी। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–07–2022 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को सुना गया तथा पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन मात्र से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि चक 4 एमजीएसएम के मुरब्बा नम्बर 21/14 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि अपीलांट् को आवंटित भूमि है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभिन्न उच्चतर न्यायालय यथा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर व माननीय उच्च न्यायालय में चाराजोई करने व किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त नहीं होने के उपरान्त पुनः अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट् जोकि आराजी जैर का विधिवत आवंटी है, को पक्षकार स्थापित किये बिना एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कृत्य से साबित है कि उनके द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए व पूर्व में उच्चतर न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को छिपाते हुए अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही न्याय प्रणाली का बेजा फायदा उठाने वाली व उच्चतर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आती है। ऐसीस्थिति में अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बज्जू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–07–2022 निरस्त

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियत आगामी नियत दिनांक को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आते हुए अपना मत व्यक्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो ।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर